रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2300] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13, 1932

No. 2300] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा यूनिट)

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2010

का.आ. 2720(अ).—जबकि, फाइल सं. 673/22/2010-कस्टम-VIII से दिनांक 20-9-2010 को जारी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा कथित उप-धारा के तहत निदेश दिया गया था कि श्री वरूण गुप्ता @ वरूण, सुपुत्र श्री सुरिन्द्र कुमार @ सुरिन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी एफ डी-41 (एस एफ), विशाखा एनकलेव, पीतमपुरा, दिल्ली को भविष्य में माल की तस्करी करने से रोकने की दृष्टि से निरूद्ध किया जाए तथा केन्द्रीय तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाये हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके ।

3. अतः अब कथित अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामने उपस्थित हो ।

[फा. सं. 673/22/2010-कस्टम-VIII]

रसीदा हुसैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA UNIT)

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 2010

S.O. 2720(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F.No. 673/22/2010-Cus. VIII, dated 20-9-2010 under the said sub-section directing that Shri Varun Gupta @ Varun, S/o Shri Surinder Kumar @ Surinder Kumar Gupta, R/o FD-41(SF), Vishakha Enclave, Pitampura, Delhi, be detained and kept in custody in the Central Tihar Jail, Delhi with a view to preventing him from engaging in further smuggling goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/22/2010-Cus. VIII]

RASHEDA HUSSAIN, Jt. Secy.

4310 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.